

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या

5/2019

अपीलांत

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

पीराराम पुत्र देवाराम, जाति
भील, निवासी छिपरवाडा,
तहसील आहोर, जिला जालोर
(राज.)

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
आहोर, जिला जालोर (राज.)
2. पटवारी हल्का चवरछा, तहसील
आहोर, जिला जालोर (राज.)

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनांक 17.10.2018
(मुकद्मा नं. 46/2018)

1. श्री सतपाल पुरोहित, अभिभाषक, अपीलांत की ओर से।
2. श्री छोटू सिंह, सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 9.7.2020

1. अपीलांत के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का चवरछा द्वारा तहसीलदार आहोर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि अपीलार्थी ने मौजा छिपरवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 787/482 व 528 की भूमि में से 165 वर्गमीटर व 22 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रकरण सं. 46/2018 दर्ज कर बिना विधिक प्रकिया अपनाए अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करते हुए प्रार्थी को 15 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड का आदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है, पटवारी हल्का चवरछा द्वारा भू माफिया से मिलावट में अपीलार्थी के मौजा चवरछा के मूल खसरा नम्बर 482 जो कि लोगों की खातेदारी आराजी है, पर अपीलार्थी के पुश्तैनी कब्जे को राजस्व भूमि दर्ज करवा कर अपीलार्थी को उस पर अतिक्रमी बताकर गलत रिपोर्ट पेश की गई है जिसे सही मानकर तहसीलदार आहोर ने भारी भूल की है, राजस्व ग्राम छिपरवाडा की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि पर बसा हुआ है जिसमें से कई लोगों के पक्के निर्माण कर रखे हैं, उसके बावजूद पटवारी हल्का चवरछा द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर मात्र अपीलार्थी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को भू

माफिया की गलत रूप से आवासीय यूनिट प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाकर बनाई गई कॉलोनी के पास से अपीलार्थी को हटाने के लिए गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं। अपीलार्थी को कभी भी मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया ऐसी अवस्था में अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पूर्णतया गलत होने से भी अपीलार्थी के विरुद्ध पारित अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बनाये नहीं रखा जा सकता। अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय की जानकारी दिनांक 28.2.20 को पटवारी हल्का चवरछा के मौके पर आकर अपीलार्थी को धमकाने पर हुई जिस पर अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त कर, अपील पेश की, विलम्ब को अनुज्ञात करने के लिए परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र अपील के साथ पेश हैं, अतः अपीलांत की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर को आदेश दिनांक 17.10.2018 को अपास्त करावे। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र, स्थगन प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र, फहरिस्त के साथ अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आदि की प्रति पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोंडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांत के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांत की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलांत के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि पटवारी हल्का चवरछा द्वारा तहसीलदार आहोर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मौजा छिपरवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 787/482 व 528 की भूमि में से 165 वर्गमीटर व 22 वर्ग मीटर भूमि पर अपीलांत द्वारा कब्जा कर लिया है जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रकरण सं. 46/2018 दर्ज कर बिना विधिक प्रकिया अपनाए अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित करते हुए प्रार्थी को 15 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड का आदेश पारित कर दिया, अपीलार्थी के मूल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 482 जो कि लोगों की खातेदारी आराजी हैं, पर अपीलार्थी के पुश्तैनी कब्जे को राजस्व भूमि दर्ज करवाकर, अपीलार्थी को उस पर अतिक्रमी बताकर पटवारी हल्का चवरछा द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की गई है जिसे सही मानकर तहसीलदार आहोर ने भारी भूल की है, अपीलार्थी को कभी भी मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया, ऐसी अवस्था में अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण करने की रिपोर्ट गलत है। अतः तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 17.10.2018 को निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोंडेन्ट की ओर से सरकारी

वकील ने बताया कि अपीलांट ने संवत् 2075 मे मौजा छिपरवाडा के खसरा नम्बर 787/482 व 528 की भूमि में से 165 वर्गमीटर व 22 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा,वाडा मय झूपा कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन रास्ता है, जो सरकारी भूमि होने से तहसीलदार आहोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन- किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार आहोर की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने संवत् 2075 मे मौजा छिपरवाडा के खसरा नम्बर 787/482 व 528 की भूमि में से 165 वर्गमीटर व 22 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा,वाडा मय झूपा कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म बारानी सोयम व गैर मुमकिन रास्ता है, जो सरकारी भूमि हैं, अपीलाट का अतिक्रमण नियमन योग्य होने के संबंध में भी कोई सबूत पेश नहीं किये है, गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का नियमन भी नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार आहोर द्वारा बेदखली व जुर्माना का आदेश सही पारित किया गया है लेकिन जहा तक गैरसायल को दो माह की सिविल कारावास का सवाल है उसमें अतिचारी को संवत् 2072 व संवत् 2074 में मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई मौका-रिपोर्ट अपीलाधीन पत्रावली में नहीं है और न ही पटवारी हल्का चवरछा के बयान ही अंकित है, जिससे अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 17.10.2018 (प्र.सं. 46/18) के विरुद्ध प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत् रखा जाता है व गैरसायल का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होने के कारण सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 9.7.2020 खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर